कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.09.2026

थाना धानापुर, जनपद चन्दौली

▶ थाना धानापुर पुलिस व साइबर टीम द्वारा ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में लिप्त 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

▶ साइबर अपराध व म्यूल खातों के संचालन में संलिप्त 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

▶ गिरफ्तार अभियुक्त रोहित कुमार है पूर्व का बैंक कर्मचारी, (जिसने खोले हैं 300 से अधिक बैंक खाते) सभी बैंक खातों की हो रही है जाँच।

▶ 03 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना व उड़ीसा) तक फैला नेटवर्क — वर्तमान में चिन्हित 04 म्यूल अकाउंट के विरुद्ध NCRP पर 18 साइबर फ्रॉड शिकायतें, लगभग ₹2.5 लाख की ठगी रिपोर्ट।

▶ गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल 02, कूटरचित आधार कार्ड 01, एटीएम 01, चेकबुक 01 किया गया बरामद।

पूर्व की घटना-

दिनाँक 22.02.2026 को थाना साइबर क्राइम पर एहतशामुद्दीन तथा उनके अन्य सहयोगियों सुऐब, तवरेज, सहादत, निकेथ एवं अरुण निवासी ग्राम असना थाना कन्दवा, जनपद चन्दौली द्वारा तहरीर दी गयी कि जनवरी 2024 में गाँव के कालीन कारखाने में एक्सिस बैंक के कर्मचारी रोहित कुमार और उसके साथी रावण उर्फ शुभम ने उन्हें विभिन्न

सुविधाओं का लालच देकर जीरो बैलेंस बैंक खाते खुलवाए। खाते खुलने के बाद पासबुक तो दे दी गई, लेकिन आरोपी रोहित कुमार ने एटीएम कार्ड देने के बहाने छलपूर्वक उनसे ओटीपी (OTP) हासिल कर लिया तथा केवल चेकबुक ही सौंपी। बार-बार मांगने के बावजूद उन्हें एटीएम कार्ड नहीं दिया गया। इसके पश्चात जब पीड़ितों के ई-मेल पर बैंक खातों में भारी लेनदेन के संदेश आने शुरू हुए, तो उन्होंने बैंक जाकर पूछताछ की। बैंक खाते की जाँच करने पर पता चला कि पीड़ितों की जानकारी और सहमति के बिना उनके खातों से लाखों रुपये का संदिग्ध व अवैध ट्रांजेक्शन (साइबर फ्रॉड) किया गया है। पीड़ितों की लिखित तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस थाना चन्दौली पर मु0अ0सं0-03/2026 319(2), 318(4) बी.एन.एस. व 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

▪ NCRP पोर्टल पर प्राप्त शिकायत व थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्राप्त वित्तीय लेन-देन व अन्य इलेक्ट्रानिक भौतिक साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि 01 गिरोह, जो देश के विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन व गरीब व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए कूटरचित लोन वेबसाईट बनाकर फर्जी लोन ऐड लगाकर आम जनमानस के साथ साइबर फ्राड की घटना की जा रही है।

▪ विवेचना के दौरान वर्तमान में केवल 04 बैंक खातों का प्रारंभिक विश्लेषण एवं जांच पूर्ण की गई है, जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया है कि साइबर फ्रॉड की धनराशि प्राप्त करने हेतु इन खातों के विरुद्ध NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) पर कुल 18 अंतर्राज्यीय शिकायतें दर्ज हैं। अभियुक्त बैंक कर्मचारी द्वारा पूर्व में खुलवाए गए शेष लगभग 300 खातों की गहन एवं विस्तृत जांच की प्रक्रिया प्रचलित है। साक्ष्य संकलन व जांच पूर्ण होने के उपरांत थाना स्थानीय पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

▪ उपरोक्त फ्राड की घटना के सम्बन्ध में थाना धानापुर पर मु0अ0सं0-160/2026 धारा 66 डी आईटी एक्ट के अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना के दौरान यह पाया गया कि रोहित कुमार उर्फ काला पुत्र किशोरी राम ग्राम सेवढ़ी मड़ई थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र करीब 31 वर्ष (जो पूर्व में एक्सिस बैंक सकलडीहा में कर्मचारी के रूप में कार्य सम्पादित कर रहा था।) व अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गाँव के गरीब लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम पर गाँव-गाँव जाकर जीरो बैलेंस पर खाते खुलवाते थे और खाताधारक से खाते का एटीएम ले लेते थे। और उन्हीं खातों में फ्राड के रूपये मांगये जाते थे और गिरोह द्वारा एटीएम कार्ड से धनराशि निकाल कर आपस में बांट लेते थे।

▪️पुलिस कार्यवाही-

उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में मौजूदा प्रभारी निरीक्षक आदर्श सलिल स्वरूप व साइबर सेल प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पुलिस व साइबर टीम द्वारा उपरोक्त साइबर फ्राड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 12.09.2026 को समय करीब 12.20 बजे मुकदमा उपरोक्त में वांछित दो अभियुक्तों को ओदरा मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

▪️गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान आशीष विश्वकर्मा पुत्र रमेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम पसाई थाना धीना जनपद चन्दौली उम्र करीब 22 वर्ष तथा रोहित कुमार उर्फ काला पुत्र किशोरी राम ग्राम सेवढ़ी मड़ई थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र करीब 31 वर्ष के रूप में की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 मोबाईल, 01 कूटरचित आधार कार्ड, 01 एटीएम, 01 चेकबुक बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त आशीष विश्वकर्मा का पूछताछ विवरण:- अभियुक्त आशीष विश्वकर्मा ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह अपने साथी रोहित कुमार (एक्सिस बैंक के पूर्व कर्मचारी) तथा अन्य तीन सहयोगियों के साथ मिलकर जनपद चन्दौली के गरीब ग्रामीणों को 06 माह में 'प्रधानमंत्री मुद्रा लोन' दिलाने व अन्य सरकारी योजनाओं का लालच देकर उनके खाते खुलवाता था। बैंक कर्मचारियों द्वारा खाता खोले जाने के तुरंत बाद, आरोपी और उसके साथी खाताधारकों से एटीएम कार्ड, पासबुक और ओटीपी (OTP) का एक्सेस हासिल कर लेते थे तथा खाते की पूरी जानकारी मुंबई स्थित अपने सहयोगियों को भेज देते थे। वहां से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की फर्जी वेबसाइट्स व भ्रामक विज्ञापनों के जरिए लोगों से साइबर फ्रॉड कर ऐंठी गई रकम इन्हीं खातों में मंगाकर आपस में बांट ली जाती थी। जांच से बचने और अपनी पहचान छिपाने के लिए अभियुक्त अन्य व्यक्तियों के नाम-पते वाले फर्जी (कूटरचित) आधार कार्ड पर अपनी फोटो लगाकर इस्तेमाल करता था।

अभियुक्त रोहित कुमार का पूछताछ विवरण:- अभियुक्त रोहित कुमार ने पूछताछ में बताया कि वह पूर्व में एक्सिस बैंक सकलडीहा में कर्मचारी के रूप में कार्यरत था और उस दौरान उसने लगभग 300 बैंक खाते खुलवाए थे। बैंक में संदिग्ध गतिविधियों के कारण नौकरी से निष्कासित किए जाने के बाद भी वह अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की योजनाएं बनाता था। उसने एक्सिस बैंक में वैधानिक रूप से खोले गए खातों का दुरुपयोग करके साइबर

अपराध के जरिए ठगी गई धनराशि को मंगाने का तरीका अपने अन्य साथियों को सिखाया। रोहित द्वारा पूर्व में खुलवाए गए लगभग *300 बैंक खातों* की साइबर फ्रॉड में संलिप्तता के संबंध में पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. आशीष विश्वकर्मा पुत्र रमेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम पसाई थाना धीना जनपद चन्दौली उम्र करीब 22 वर्ष

2. रोहित कुमार उर्फ काला पुत्र किशोरी राम निवासी ग्राम सेवढ़ी मड़ई थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र करीब 31 वर्ष

अभियुक्त रोहित का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 0003/2026 धारा 319(2), 318(4) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट थाना साईबर जनपद चन्दौली

2. मु.अ.सं. 0160/2026 धारा 3(5), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 341(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट

अभियुक्त आशीष विश्वकर्मा का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 0160/2026 धारा 3(5), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 341(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट

विवरण बरामदगी –

1. घटना में प्रयुक्त 02 मोबाईल

2. 01 कूटरचित आधार कार्ड

3. 01 एटीएम

4. 01 चेकबुक

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. अति0निरी0 सलिल स्वरूप आदर्श थाना प्रभारी थाना धानापुर जनपद चन्दौली

2. उ0नि0 गेंदा सिंह थाना धानापुर जनपद चन्दौली

3. हे0का0 राजेश कुमार मौर्या थाना धानापुर जनपद चन्दौली

4. म0का0 श्वेता सिंह थाना धानापुर जनपद चन्दौली

साईबर टीम चन्दौली-

1. उ0नि0 मिर्जा रिजवान बेग प्रभारी साईबर सेल चन्दौली

2. हे0का0 पवन कुमार यादव साईबर सेल चन्दौली

3. का0 मनोज चौहान साईबर सेल चन्दौली

4. का0 अनिल प्रजापति साईबर सेल चन्दौली